

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

दिनांक :- 5.8.2022

क्रमांक -रीडर/ 2022/ 666

मुकदमा नंबर 105/2022

प्राथी	बनाम	विपार्थीगण
1. सुरतानसिंह पुत्र रूधनाथसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी राजपुरा थोब, तहसील पंचपदरा जिला बाडमेर (राज)		<ol style="list-style-type: none"> 1. नेनसिंह पुत्र सोहनसिंह 2. श्रवणसिंह पुत्र सोहनसिंह 3. शान्ति कंवर पत्नी सोहनसिंह सभी जातियान राजपुरोहित नि० राजपुराथोब 4. चेनाराम पुत्र पुरखाराम 5. लोगोदेवी पत्नी पुरखाराम 6. मिश्राराम पुत्र मेगाराम 7. चंपाराम पुत्र मेगाराम 8. गोबरराम पुत्र मेगाराम, सभी जाति मेगवाल, निवासी राजपुरा थोब, (फौत) के विधिक वारिसान :- 8/1. वीराराम पुत्र गोबरराम 8/2. लुणाराम पुत्र गोबरराम 8/3. लक्ष्मी पत्नी गोबरराम जाति मेगवाल 9. सांवलराम पुत्र शिवनाथ 10. घेवरराम पुत्र शिवनाथ 11. मिश्राराम पुत्र शिवनाथ 12. कालुराम पुत्र शिवनाथ 13. मोहनराम पुत्र शिवनाथ जाति राईका निवासी थोब 14. राणाराम पुत्र भापुडा, जाति मेगवाल 15. जोगपुरी पुत्र शंकरपुरी 16. गौतमपुरी पुत्र शंकरपुरी 17. भरतपुरी पुत्र शंकरपुरी 18. लेहरोदेवी पत्नी शंकरपुरी 19. किशनपुरी पुत्र मांगपुरी 20. घेवरपुरी पुत्र मांगपुरी 21. तेजपुरी पुत्र मांगपुरी 22. ओमपुरी पुत्र मांगपुरी 23. चन्द्रा पत्नी मांगपुरी 24. मोहनपुरी पुत्र कानपुरी 25. बाबुपुरी पुत्र कानपुरी 26. कैलाशपुरी पुत्र कानपुरी 27. राजपुरी पुत्र कानपुरी 28. गंगापुरी पुत्र कानपुरी 29. मथरा पत्नी कानपुरी 30. गणेशपुरी पुत्र चिमनपुरी 31. विरमपुरी पुत्र चिमनपुरी 32. नारायणपुरी पुत्र रामपुरी 33. तगतपुरी पुत्र रामपुरी 34. अणदपुरी पुत्र रामपुरी 35. मदनपुरी पुत्र रामपुरी 36. विशनपुरी पुत्र रामपुरी 37. चुन्नी पत्नी रामपुरी 38. सोहनपुरी पत्नी गुमानपुरी 39. रावतपुरी पुत्र गुमानपुरी 40. खेतपुरी पुत्र गुमानपुरी जाति स्वामी निवासी थोब 41. राजस्थान सरकार जरीये भूमि धारक तहसीलदार पंचपदरा / कल्याणपुर जिला बाडमेर ।



उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा



आदेश

दिनांक :- 5.8.2022

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा राजेश्वर नगर पटवारी क्षेत्र थोब, भू-निरीक्षक क्षेत्र थोब तहसील पचपदरा में खेत खसरा संख्या 404 क्षेत्रफल 58-03 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमिश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित किया जाता है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।



क्रमांक / रीडर / 2022 / 667

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा
(SDO) बालोतरा

दिनांक :- 05/8/22

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कल्याणपुर को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवाये।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा
(SDO) बालोतरा